डिस्कलेमर

आदेश संख्या 05/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तनआर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 05/2024-25

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 19 अगस्त, 2024

विषय: कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,बैंगलुरू में एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक्सप्रेस कूरियर कार्गो हैंडिलिंग के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

एआईसैट्स की प्रस्तुति:

1. एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईसैट्स) ने दिनांक 23.05.2024 के पत्र संख्या 2024/बीएलआर/ईसीटी/ऐरा/001 के माध्यम से कहा कि एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई) ने केआईए, बैंगलुरू में कॉमन यूजर एक्सप्रेस टर्मिनल (सीयूईटी) के प्रचालन के लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) के साथ दिनांक 25.02.2019 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए थे। परंतु, अपने परिचालनात्मक कारणों की वजह से ईआईसीआई अब बैंगलुरू हवाईअड्डे पर सीयूईटी का प्रबंधन और प्रचालन नहीं करना चाहती है और उसने बीआईएएल से अनुरोध किया है कि सीयूईटी के प्रचालन संभालने के लिए वह किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करे।

   तदनुसार, 07.07.2023 को बीआईएएल ने सीयूईटी के प्रचालन और रखरखाव के अधिकारों को एआईसेट्स के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए बीआईएएल, ईआईसीआई और एआईसैट्स के बीच हुए नवीकरण करार पर हस्ताक्षर किए।

2. एआईसैट्स ने यह भी बताया कि सीमा शुल्क संरक्षकता प्राप्त करने के बाद आशा है कि निकट भविष्य में वह सीयूईटी के प्रचालन का कार्यभार संभाल लेगी और उसने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह बैंगलुरू हवाईअड्डे पर सीयूईटी प्रचालन के संबंध में एआईसेट्स के लिए नीचे प्रस्तावित किए अनुसार अंतरिम टैरिफ की अनुमति दें:

   (क) कूरियर एजेंटों से संबंधित इसकी सेवाओं के लिए ईआईसीआई पर लागू वर्तमान टैरिफ।

(ख) जब एआईसैट्स केआईएबी में कार्गो टर्मिनल प्रचालक के रूप में कार्य कर रही थी तब सीयूईटी में एयरलाइनों से संबंधित सेवाओं के संबंध में ऐरा द्वारा एआईसैट्स के लिए अनुमोदित टैरिफ (दिनांक 19.03.2020 का आदेश संख्या 32/2019-20)

प्राधिकरण द्वारा की गई जांच

3 प्राधिकरण ने नोट किया कि बायल (हवाईअड्डा प्रचालक), ईआईसीआई (मौजूदा सीयूईटी प्रचालक) और एआईसैट्स (नई एजेंसी) ने 07.07.2023 को एक त्रिपक्षीय नवीकरण करार किया है, जिसके तहत सीयूईटी के प्रचालन और प्रबंधन संबंधी अधिकार ईआईसीआई से एआईसैट्स के पक्ष में उन्हीं शर्तों एवं निबंधनों पर हस्तांतरित किए जाने हैं जो बायल और ईआईसीआई के बीच 25.02.2019 को 10 वर्ष की अवधि के लिए किए गए मूल करार पर लागू हैं। आवश्यक अनुमोदन और विनियामक औपचारिकताओं (सीमा शुल्क संरक्षता आदि) को पूरा करने के बाद आशा है कि एआईसैट्स जल्द ही सीयूईटी प्रचालन अपने नियंत्रण में ले लेगी।

4 प्राधिकरण ने सीयूईटी प्रचालनों के उनके प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए एआईसैट्स के अनुरोध की जांच की और निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में और सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगा:

(क) क्या एआईसैट्स ने सीयूईटी, बैंगलुरू में अपने प्रस्तावित प्रचालनों के लिए बीसीएएस से विनियमित एजेंट का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

(ख) बैंगलुरू हवाईअड्डे पर सीयूईटी के प्रचालनों के संबंध में सीमा शुल्क संरक्षकता प्राप्त करने की स्थिति।

(ग) इंटरनेशनल एक्सप्रेस कूरियर कार्गो के लिए सीयूईटी, बैंगलुरू में 'एयरलाइन प्रभारों' के संबंध में प्रस्तावित टैरिफ का आधार, क्योंकि 'एयरलाइंस प्रभार' के लिए टैरिफ ईआईसीआई द्वारा अनुमोदित टैरिफ का हिस्सा नहीं है।

5 ऐरा की उपर्युक्त टिप्पणी के जवाब में, एआईसैट्स ने दिनांक 08.07.2024 की ई-मेल के माध्यम से यह बताया कि एआईसैट्स बीसीएएस के दिनांक 03.09.2021 के प्रमाणपत्र के अनुसार केआईए, बैंगलुरू के लिए बीसीएएस द्वारा विनियमित एजेंट के रूप में पहले से ही प्रमाणित है, जो सुरक्षा अनुमति की तारीख (अर्थात 02.02.2021) से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

सीमा शुल्क संरक्षकता प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने कहा कि सीमा शुल्क संरक्षकता लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और यह प्रक्रिया अगस्त, 2024 में पूरी होने की आशा है।

अंतरराष्टीय एक्सप्रेस कार्गो के संबंध में एयरलाइनों के लिए प्रस्तावित प्रभारों पर एआईसैट्स ने आगे बताया कि "चूंकि ईआईसीआई एयरलाइन कार्गो को संभालने के लिए विनियमित एजेंट नहीं है, ईआईसीआई ही सीमा शुल्क संरक्षक है और इस कारण से वह अपने दर कार्ड के अनुसार सुविधा प्रभार एकत्र कर रही है। जबकि एआईसैट्स ईआईसीआई टर्मिनल (जो प्रारंभ में एआईसैट्स मुख्य कार्गो टर्मिनल के भीतर था) पर एक्सप्रेस कार्गो को संभालने के लिए विनियमित एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था और एआईसैट्स अनुमोदित एआईसैट्स बीएलआर कार्गो टैरिफ के आधार पर एयरलाइनों से हैंडलिंग प्रभार एकत्र कर रहा था, जिसमें कूरियर हैंडलिंग प्रभार भी शामिल थे। एक बार ईआईसीआई टर्मिनल एआईसैट्स मुख्य कार्गो टर्मिनल से बाहर नई सुविधा में चला गया तो एआईसैट्स ने अपनी विनियमित एजेंट की हैसियत के आधार पर विनियमित एजेंट के रूप में कार्य करना जारी रखा और उसी प्रचलित टैरिफ के आधार पर एयरलाइनों को कूरियर हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करता रहा।"

6 प्राधिकरण ने पाया कि एआईसैट्स ने अंतरिम टैरिफ के अपने प्रस्ताव में अंतरदेशीय एक्सप्रेस कूरियर कार्गो के लिए प्रभार प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस मामले पर एआईसैट्स के साथ चर्चा की गई, जिसमें स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ने स्पष्ट किया कि वह सीयूईटी, बैंगलुरू में केवल अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस कूरियर सेवाएं प्रदान करना चाहता है।

7 प्राधिकरण नोट करता है कि ऐरा के दिनांक 21.06.2013 के आदेश संख्या 16/2013-14 के अन्तर्गत प्रथम नियंत्रण अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2015-16 के पहले तीन (3) वर्ष (वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2013-14) के लिए ईआईसीआई के संबंध में टैरिफ निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने दिनांक 03.07.2015 के आदेश संख्या 23/2015-16 के अन्तर्गत प्रथम नियंत्रण अवधि के अंतिम दो वर्ष (वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2015-16) के लिए उसी टैरिफ की अनुमति दी थी।

तत्पश्चात प्राधिकरण द्वारा वही टैरिफ समय-समय पर तदर्थ आधार पर बढ़ाई गई है। वर्तमान में, प्रचलित तदर्थ टैरिफ 30.09.2024 तक वैध है।

8 प्राधिकरण यह देखते हुए कि एक्सप्रेस कूरियर कार्गो की सुविधा बैंगलुरू हवाईअड्डे पर एयर कार्गो प्रचालन और सीयूईटी के प्रचालन और प्रबंधन ईआईसीआई से एआईसैट्स (नई एजेंसी) को सुविधाजनक ढंग से हस्तांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण है, कूरियर एजेंटों से संबंधित सेवाओं के संबंध में एआईसैट्स के लिए अंतरिम उपाय के रूप में ईआईसीआई के लिए लागू मौजूदा तदर्थ टैरिफ को मानने का निर्णय लेता है।

एयरलाइनों से संबंधित सेवाओं (अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस कूरियर कार्गो के लिए) के संबंध में, प्राधिकरण एआईसैट्स (एयरलाइनों संबंधी सेवाओं से संबंधित) के लिए तत्कालीन प्रचलित प्रभारों के आधार पर एआईसैट्स के लिए तदर्थ टैरिफ को मानने का निर्णय लेता है, जैसा कि ऐरा द्वारा दिनांक 19.03.2020 के आदेश संख्या 32/2019-20 के तहत द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21) के चतुर्थ और पांचवें टैरिफ वर्ष के लिए अनुमोदन दिया गया था। इसके बाद, एआईसैट्स के लिए 31.03.2021 को प्रचलित टैरिफ समय-समय पर आईएसपी की रियायत अवधि के अंत तक यानि 23.05.2023 तक बढ़ाई गई।

9 एआईसैट्स प्राधिकरण को सीयूईटी के अधिग्रहण की वास्तविक तारीख (वाणिज्यिक प्रचालनों की तारीख) की सूचना देगा तथा नियमित टैरिफ के निर्धारण के लिए नियमित प्रचालन प्रारंभ होने के एक माह के भीतर सीयूईटी प्रचालनों के संबंध में आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉरमेट में एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

आदेश

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और सभी हितधारकों के समग्र हित में, केआईए, बैंगलुरु में एक्सप्रेस कूरियर कार्गो सेवाओं को निर्बाध जारी रखने के लिए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) केआईए, बैंगलुरू में इंटरनेशनल एक्सप्रेस कूरियर कार्गो सेवाओं के लिए **संलग्नक** के अनुसार एआईसैट्स को तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) इसके अंतर्गत अनुमोदित तदर्थ टैरिफ, केआईए, बैंगलुरू में एआईसैट्स द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन के प्रारंभ से 31.03.2025 तक अथवा प्राधिकरण द्वारा एआईसेट्स के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

(iii) उपर्युक्त के अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक एआईसैट्स के लिए कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू के संबंध में अनुमोदित टैरिफ दरें सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री संजय गुप्ता, (मुख्य कार्यपालक अधिकारी),
एयर इंडिया एआईसैट्स एयरपोर्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
प्रथम तल, एक्सप्रेस कूरियर टर्मिनल,
सी-19, कैम्पेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
देवनहल्ली, बैंगलुरू -560300

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2) श्री हरी मरार, प्रबन्ध निदेशक, बैंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अल्फा-2, प्रशासनिक ब्लॉक, देवेनहल्ली, बैंगलुरू -560300
3) मुख्य प्रबंध निदेशक, एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई), 501, क्रिस्टल सेंटर, रहेजा विहार, मुंबई-40072